

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/248
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00241
CICOM/R/2017/00690

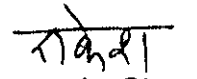
दिनांक: 18.08.2017

अपीलकर्ता : श्री राजेश कुमार,
पुत्र - श्री छोद्द राम,
मकान सं. 21 ए, ककरौला,
द्वारका, नई दिल्ली - 110078.

निर्णय की तारीख: 18.08.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	01.06.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	30.06.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. पी. बेक
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	11.08.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	156102/11.08.2017

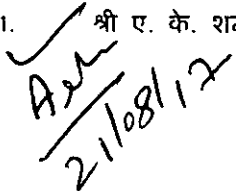
1. अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 01.06.2017 के आर.टी.आई. आवेदन जिसके माध्यम से दो बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी, के संदर्भ में श्री एस. पी. बेक, संयुक्त सचिव (प्रशासन) एवं नोडल अधिकारी, आर.टी.आई. द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की है।
2. अपीलकर्ता ने बिंदु सं. दो से संबंधित प्रदान की गई सूचना से असहमति व्यक्त करते हुए जानना चाहा है कि उनके द्वारा मांगी गई सूचना को व्यक्तिगत सूचना बताया गया है तो क्या सूचना से संबंधित व्यक्ति की सहमति/असहमति जानने हेतु कोई प्रचार किया गया है। इस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है कि सूचना आयुक्तों के खिलाफ शिकायत से संबंधित आयोग की नीति के अनुसार ही अपीलकर्ता को सूचित किया गया है कि उनके द्वारा मांगी गई सूचना व्यक्तिगत प्रकृति का है। इसलिए संबंधित व्यक्ति की सहमति/असहमति जानने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री एस. पी. बेक, संयुक्त सचिव (प्रशासन) एवं नोडल अधिकारी, आर.टी.आई. द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।


(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. ✓ श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।


21/08/17



